शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ-226 007, उत्तर प्रदेश

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः सामु0सह0 / टूबेको / 5130 / 2019–20 लखनऊः दिनांकः 09 जनवरी, 2020

विषयः उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त (टी0ओ0एफइआई) बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि तम्बाकू का उपयोग / सेवन विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जैसे कैंसर, हृदय रोगों, फेफड़ो के रोगों, स्ट्रोक, मधुमेह, बांझपन, अंधापन, टी0बी0 आदि का एक प्रमुख कारक है। बच्चे देश का भविष्य है, उन्हें स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हितकर जानकारी दिया जाना आवश्यक है। यदि कक्षा–1 से 8 तक के बच्चों को नशा उन्मूलन के सम्बन्ध में जागरूक किया जाता है तो देश को नशा मुक्त बनाने में कारगर होंगें।

उल्लेखनीय है कि तम्बाकू के खतरों से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं हेतु गाइडलाइन जारी की है, जिस पर SAMBANDH हेल्थ फाउण्डेशन द्वारा कार्य कराया जा रहा है। विस्तृत जानकारी हेतु संस्था के पत्र के साथ गाइडलाइन की प्रति सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को उनके जीवन रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का नशा न किये जाने एवं अपने परिवार जनों, मित्रों एवं परिचितों को भी इनसे दूर रखने के लिए प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में उक्त संस्था द्वारा जनपदों में जागरूकता हेतु कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिसमें कृपया नियमानुसार सहयोग देने का कष्ट करें। इस हेतु विभाग द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जानी है।

संलग्नकःउक्तवत्।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: सामु0सह0 / टूबेको / / 2019–20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. SAMBANDH हेल्थ फाउण्डेशन, गुडगाँव, हरियाणा।

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

दूरभाष : 2780995, 2780384 | ई-मेल : upefaspo@gmail.com | वेब-साइट : www.upefa.com

संचालन गाइडलाइन / दिशानिर्देश

तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संसथान/ टोबैको फ्री एजुकेशनल इंसटीट्यूटस (टीओएफईआई)

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा)

भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान (टीओएफईआई) घोषित किए जाने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9 मानदंडों को पूरा करना होगा। इसके लिए एक स्कोरकार्ड रखना होगा। यह नोट उन संस्थानों के प्रमुखों के लिए है जो अपने परिसरों में स्कोरकार्ड का पालन और इसका रखरखाव करेंगे।

पृष्ठभूमि

तम्बाकू का उपयोग / सेवन दुनिया भर में रोकथाम योग्य मौतों और बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। इसका सेवन/ उपयोग करने वाले आधे से अधिक लोग समय से पहले मर जाते हैं। तंबाकू का उपयोग कैंसर, हृदय रोगों, फेफड़ों के रोगों, स्ट्रोक, मधुमेह, बांझपन, अंधापन, टीबी आदि का एक प्रमुख कारक है।

तंबाकू के खतरे – खतरनाक तथ्य :

- तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण हर साल 13.5 लाख से अधिक भारतीयों की असमय मौत हो जाती हैं
- **26.7** करोड़ **(28.6%)** वयस्क जनसंख्या (**15+** वर्ष) भारत में तम्बाकू का उपयोग करती है
- वर्ष 2011 में तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण 1,04,500 करोड़ का आर्थिक बोझ
- उत्तर प्रदेश में
- **5.1** करोड़ लोग किसी न किसी भी रूप में तंबाकू का उपयोग करते हैं
- **4.2** करोड़ लोग चबाने वाले तंबाकू का जैसे गुटका, खैनी, जर्दा आदि उपयोग करते हैं
- तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण हर साल 1.9 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है
- भारत में 5,500 बच्चे / किशोर (राज्य में 800 से अधिक) रोजाना तम्बाकू खाना शुरू करते हैं
- शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता इसके सेवन करने की शुरुआत को बढ़ावा देती है

गाइडलाइन्स/ दिशानिर्देश

- तालिका -1 में मापदंड को भरकर लिंक:https://pleg4life.org/tofei-up पर अद्यतन करें
- मदद के लिए संपर्क करें: + 91-8279811780 या + 91-8860786604
- हर अपडेट के लिए एक ईमेल भेजा जाएगा
- वर्तमान स्कोरकार्ड को भी प्रत्येक तिमाही में ईमेल किया जाएगा।
- साइनबोर्डों और गतिविधियों की लागत स्कूल फंड से ली जा सकती है

तालिका -1: तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान (ईआई) के लिए स्व-मूल्यांकन स्कोरकार्ड

क्र. सं.	मापदंड	अधिमार अंक	कार्य	अद्यतनीकरण
1	क परिसर के अंदर 'नो स्मोकिंग' या 'तंबाकू मुक्त क्षेत्र' का चिन्ह प्रदर्शित करना।	अनिवार्य (10)	परिसर के अंदर प्रमुख स्थान पर अनुबंध- I के अनुसार साइनबोर्ड या वॉल पेंट लगाएं। 'तंबाकू का विवरण दें। नीचे '(6) के अनुसार मॉनिटर करें।	साइनबोर्ड / साइन की फोटो लें और लिंक पर अपलोड करें।
	ख. साइनबोर्ड पर 'तंबाकू मॉनिटर' का विवरण दें	अनिवार्य(10)		
2	क. गेट के बाहर "तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थान" का प्रदर्शन।	अनिवार्य (10)	परिसर के बाहर मुख्य द्वार के पास अनुबंध- II के अनुसार साइनबोर्ड या वॉल पेंट लगाएं।	साइनबोर्ड / साइन की फोटो लें और लिंक पर अपलोड करें।

	ख. माइनबोर्ड पर 'तंबाकू मॉनिटर' का विवरण दें।	अनिवार्य (10)	नीचे दिए गए (6) के अनुसार 'तंबाकू मॉनिटर' का विवरण दें।	
3	परिसर के अंदर तंबाकू उत्पादों के उपयोग जैसे सिगरेट / बीड़ी के टुकड़े या गुटका / तंबाकू के पाउच या थूक के निशान का कोई साक्ष्य नहीं है।	अनिवार्य (10)	यह सुनिश्चित करें कि शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों, आगंतुकों या किसी के द्वारा परिसर में तंबाकू उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता है।	लिंक पर दिए गए घोषणा पर क्लिक करें।
4	परिसर के अंदर प्रदर्शित तंबाकू के नुकसान पर पोस्टर या अन्य जागरूकता सामग्री।	9	ईआई के अंदर तंबाकू विरोधी पोस्टर लगाएं * छात्रों द्वारा पोस्टर लगाना बेहतर होगा * या https: //pleg4life.org/resources से डाउनलोड / प्रिंट करें।	पोस्टर या पोस्टरों की एक लेकर लिंक पर अपलोड करें।
5	पिछले 6 महीनों के दौरान कम से कम एक तंबाकू नियंत्रण गतिविधि का आयोजन करें।	9	छात्रों के लिए तम्बाकू विरोधी गतिविधि का आयोजन करें जैसे प्रतिज्ञा, पोस्टर / नारा लिखना , निबंध / प्रश्नोत्तरी / वाद-विवाद प्रतियोगिता, स्ट्रीट प्ले आदि।	लिंक पर कार्यक्रम की तस्वीरें अपलोड करें। पोस्टर / स्लोगन / निबंध प्रतियोगिता के मामले में, विजेता प्रविष्टि की फोटो अपलोड करें।
6	'तम्बाकू मॉनिटर' को नामित करें और ऊपर दिए गए साइनबोर्ड (1 ख) और (2 ख) पर विवरण दें।	9	उल्लंघन या तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों के संचालन के लिए एक या अधिक शिक्षकों को 'तंबाकू मॉनिटर' के रूप में नामित कर (1ख) और (2ख) में विवरण दें।	यदि किया गया है तो लिंक पर 'हां' पर क्लिक करें
7	ईआई की आचार संहिता में "नो टोबैको यूज" मानदंड का समावेश।	9	अनुबंध- V में दिए गए आचार संहिता को लागू करें।	लिंक पर स्वीकार / सहमत बॉक्स पर क्लिक करें।
8	बाहरी चारदीवारी / फेंस से 100 गज क्षेत्र का अंकन।	7	सभी दिशाओं में चारदीवारी से 100 गज (300 फीट) की दूरी नापें। सड़क पर पीले रंग की पेंट के साथ एक रेखा (चौड़ाई 5 इंच) खींचें। यदि संभव हो तो सड़क या आस-पास की दीवार पर "नो टोबैको ज़ोन" चिन्ह लगाएं। संदर्भ अनुबंधIII और IV देखें।	लिंक पर अपलोड चिह्न के फोटो पर - अधिमानतः फोटो शिक्षकों / छात्रों की होनी चाहिए जो चिह्न लगा रहे हों
9	शैक्षिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली कोई भी दुकान न हो ।	7	ईआई के प्रमुख को 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों की पहचान करनी चाहिए।	ऐसी दुकान की संख्या लिंक पर दें।

अनुबंध-I

परिसर के अंदर साइनबोर्ड का (कोई भी) [आकार: 60 सेमी x 45 सेमी]

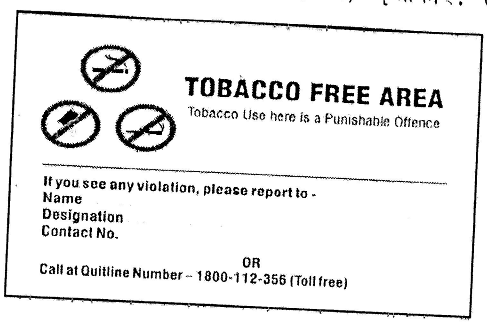

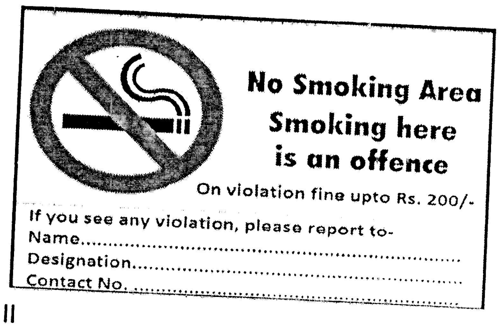

अनुबंध - II

परिसर के बाहर साइनबोर्ड का (कोई भी) [60 सेमी X 45 सेमी]

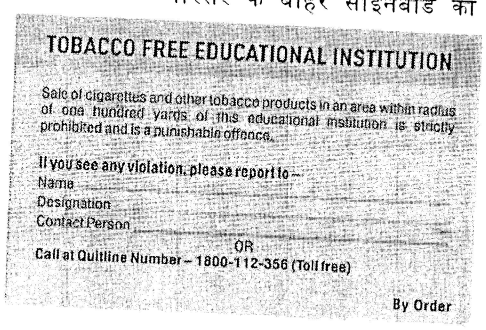

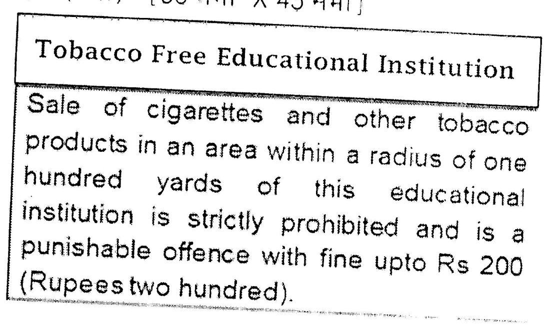

अनुबंध-III

अनुबंध -IV

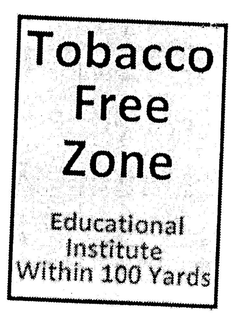

अनुबंध -V

शैक्षिक संस्थानों की आचार संहिता

संस्थान के प्रमुख निम्न के लिए जिम्मेदार है:

क. परिसर में शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के बीच किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन, उपयोग और बिक्री।

ख. संस्थान किसी भी फर्म या किसी फर्म की सहायक कंपनी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगा जो किसी भी रूप में तंबाकू का उत्पादन करती हैया इसके उपयोग को बढ़ावा देती है।

ग. संस्थान या कोई भी छात्र किसी ऐसे पुरस्कार या छात्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करेगा जो तंबाकू उत्पादक या फर्म / कंपनी को बढ़ावा देता है।

घ. परिसर में किसी भी रूप में तंबाकू की बिक्री / भंडारण या उपलब्धता नहीं हो